सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 25.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 25.09.2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय मे जनसुनवाई किया गया। जनसुनवाई में कुल 04 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिसमे 01 मारपीट, 01 भूमि विवाद व 02 अन्य विवाद से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र थें। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 25.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के "राजकीय इण्टर कॉलेज नौगढ़" मे छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, साइबर अपराध के संबंध में जागरूक किया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु मिशन शक्ति फेज-05 अभियान" के तहत प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 25.09.2025 को थाना सिद्धार्थनगर पर नियुक्त उ0नि0 गयासुद्दीन खान, उ0नि0 पन्नेलाल, मु0आ0 वशीम अहमद, मु0आ0 अशोक पासवान, आ0 शुभम रावत , म0आ0 अन्नप्रिया वर्मा, म0आ0 अनिशा सरोज व म०आ० रूपम द्वारा थानाक्षेत्र सिद्धार्थनगर के "राजकीय इण्टर कॉलेज नौगढ़" मे छात्राओं को जागरुक करते हुए मिशन शक्ति अभियान से संबंधित पंपलेट वितरित कर शासन द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे विमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, और स्वास्थ्य/एम्बुलेंस सेवा 102/108 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। छात्राओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की असुरक्षा या समस्या के समय वे बिना किसी झिझक के इन नंबरों पर संपर्क कर सकती हैं। यह भी आश्वासन दिया गया कि उनकी शिकायतों को गोपनीय रखा जाएगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं और छात्राओं को आत्मरक्षा के महत्वपूर्ण बाते बताई गयी, ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। बालिकाओं को आत्मविश्वास के साथ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और निर्भीक होकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, अन्य स्टाफ और पुलिस कर्मी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित बालिकाओं ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

प्रेस नोट दिनांक 25.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के 04 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं0 438/2016 NCR No-75/2015 धारा- 323,504 भादवि0 थाना खेसरहा मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01-पारस पुत्र गोली ,2-सरोज मती पत्नी पारस निवासीगण पूरनजोत थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर, 3-पिन्टू पुत्र सभापति, 4-सभापति पुत्र बलेसर निवासीगण कौड़िहार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर प्रसाद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट दिनांक 25.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के 04 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं0 2110/2022 NCR No-97/2021 धारा- 323,504 भादवि0 थाना खेसरहा मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01-दुर्बली पुत्र पतिराज ,2-राधा उर्फ अधिकौरी पुत्री दुर्बली, 3-राधिका उर्फ खुट्टी पुत्री दुर्बली, 4-किरन पत्नी शिव निवासीगण बेलबनवा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर प्रसाद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा ।

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं0 1513/2010 NCR No-122/2018 धारा- 323,504 भादवि0 थाना खेसरहा मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त रामभवन पुत्र शिवमंगल निवासी सुहई कनपुरवा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर प्रसाद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट दिनांक 25.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना गोल्हौरा पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के 02 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 600/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं0 438/2018 NCR No-84/2017 धारा- 323,427 भादवि0 थाना गोल्हौरा मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01-नूर मोहम्मद पुत्र मु0अली,2-यकीन मुहम्मद पुत्र मु0अली, निवासीगण भरवलिया थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 600/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह थाना गोल्हौरा का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 25.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के 03 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 850/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं0 119/2005 NCR No-47/1996 धारा- 323,504,352 भादवि0 थाना खेसरहा मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01-बेलास पुत्र भालू पासी ,2-पल्टू पासी पुत्र भालू पासी, 3-पियारी देवी पत्नी भालू पासी निवासीगण देवगढ़ थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 850/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर प्रसाद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट- दिनांक 25.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा त्यौहार नवरात्रि/दुर्गा पूजा, दशहरा/विजयदशमी के दृष्टिगत व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना इटवा व थाना डुमरियागंज में फ्लैग मार्च/पैदल गश्त किया गया।

◆ सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।

डॉ0 राजा गणपति आर. जिलाधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर के साथ डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा दिनांक 25.09.2025 को प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के साथ त्यौहार नवरात्रि/दुर्गा पूजा, दशहरा/विजयदशमी के दृष्टिगत व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना इटवा के कस्बा इटवा तथा थाना डुमरियागंज के कस्बा डुमरियागंज मे फ्लैग मार्च/पैदल गश्त किया गया तथा आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया गया तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया । इस दौरान क्षेत्राधिकारी इटवा व क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज, प्रभारी निरीक्षक थाना इटवा व डुमरियागंज तथा थाना स्थानिय के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

प्रेस नोट दिनांक 25-09-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा मा0 सांसद, विधायक सदर व बांसी की उपस्थिती में पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर परेड ग्राउण्ड में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' और 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

डॉ0 राजा गणपति आर. जिलाधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर के साथ डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा मा0 सांसद, विधायक सदर व बांसी की उपस्थिती में दिनांक 25.09.2025 को 'सशक्त नारी, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' और 'मिशन शक्ति' जैसे महत्वपूर्ण अभियानों के साथ मिलकर, समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है सभी पुलिस थानों में विशेष महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इन डेस्क पर महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं जो महिलाओं की शिकायतों को संवेदनशील तरीके से सुनती हैं और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करती हैं। एंटी-रोमियो स्क्वाड की सक्रियता से सार्वजनिक स्थानों, शिक्षण संस्थानों और बाजारों में एंटी-रोमियो स्क्वाड लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न की घटनाओं को रोका जा सके। जनपद के सभी थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस टीमें स्कूलों, कॉलेजों और आवासीय क्षेत्रों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम चला रही हैं। इन कार्यक्रमों में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 112, 1090, 181) और आत्मरक्षा के तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। महिलाओं से संबंधित अपराधों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।